

(V)

संख्या 5448 / 1-10-2007-12(73)/07

प्रेषक,

उमेश सिन्हा,
सचिव राजस्व एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लि०,
लखनऊ।

राजस्व अनुभाग -10

लखनऊ: दिनांक 26 दिसम्बर, 2007

विषय :- सूखे से प्रभावित जनपदों में नलकूपों को ऊर्जीकृत करने हेतु धनावंटन।

प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. पावर कारपोरेशन लि. द्वारा बुन्देलखण्ड के सूखाग्रस्त जनपदों में 2733 नलकूपों के लम्बित बी.एल. फार्मों को निस्तारित कर नलकूपों को ऊर्जीकृत करने हेतु बुन्देलखण्ड में 11 के.वी. लाईनों तथा परिवर्तकों के जाल बिछाने का प्रस्तावरु. 5641.42 लाख का निम्नांकित प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है:-

(रु. लाख में)

क्रम	जनपद का नाम	लाईनों पर व्यय	परिवर्तकों पर व्यय	कुल व्यय
1.	झाँसी	186.66	199.92	386.58
2.	ललितपुर	275.42	294.98	956.98
3.	जालौन	187.57	200.90	388.47
4.	चित्रकूट	396.20	424.34	820.54
5.	बाँदा	590.18	632.10	1222.28
6.	हमीरपुर	777.75	833.00	1610.75
7.	महोबा	123.52	132.30	255.82
	योग	2537.30	2717.54	5641.42

(रूपये छप्पन करोड़ इकतालिस लाख बयालिस हजार मात्र)

2. उक्त प्रस्ताव पर दिनांक 18 दिसम्बर 2007 को मुख्य सचिव उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय आपदा राहत समिति ने यह निर्णय लिया है कि सम्बन्धित विभाग को यह धनराशि उपलब्ध करा दी जाय। बुन्देलखण्ड तथा विन्ध्य क्षेत्र में लगातार 4 वर्षों से अवर्षण की स्थिति के कारण पेयजल तथा सिंचाई हेतु पानी की समस्या की दशा में निजी नलकूपों को ऊर्जीकृत किये जाने हेतु विद्युत अधिसंरचना की स्थापना अपरिहार्य है।

उपरोक्त वर्णित कार्यों/परियोजनाओं हेतु स्वीकृत धनराशि रू0 56,41,42,000/- (रूपये छप्पन करोड़ इकतालिस लाख बयालिस हजार मात्र) के प्रस्ताव की स्वीकृति प्रदान करते हुये प्रथम किश्त के रूप में 30 प्रतिशत की धनराशि (सुगमांक के अनुसार) रू0 17,00,00,000/- (रूपये सत्तरह करोड़ मात्र) का भारतीय स्टेट बैंक, मुख्य शाखा, हजरतगंज, लखनऊ का बैंक ड्राफ्ट संख्या-185751 दिनांक: 26-12-2007 संलग्न कर प्रथम किश्त के रूप में पावर कार्पोरेशन लि0 को प्रेषित किया जा रहा है।

3. उपरोक्तानुसार स्वीकृत रूपये: रू0 56,41,42,000/- (रूपये छप्पन करोड़ इकतालिस लाख बयालिस हजार मात्र) की 30 प्रतिशत धनराशि रू0 17,00,00,000/- (रूपये सत्तरह करोड़ मात्र) अवमुक्त की जा रही है। उपरोक्तानुसार स्वीकृत 30 प्रतिशत धनराशि के दो तिहाई भाग का उपयोग होने पर आवश्यकतानुसार अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत करने का प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जाय। उक्त धनराशि किसी भी अन्य विभागीय कार्य में प्रयोग में कदापि न लायी जाय।

4. उपर्युक्त परियोजनाओं पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2007-08 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखा शीर्ष "2245-प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत-आयोजनेत्तर-05-आपदा राहत निधि-800-अन्य व्यय -03-राष्ट्रीय आपदा निधि से व्यय -42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

5. पावर कार्पोरेशन द्वारा इस धनराशि से किये गये कार्यों का ब्यौरा जिलाधिकारियों के माध्यम से सत्यापित कराकर शासन को भेजना सुनिश्चित किया जायेगा तथा इस मद में सम्भावित बचतों को दिनांक: 25 मार्च, 2008 तक शासन को समर्पित कर दिया जाय।

6. उक्त आदेश वित्त विभाग की (सहमति से जारी किये जा रहे हैं।
अशासकीय पंजी सं-ई-5-2001(4)/2007 दिनांक 26-12-07 में प्राप्त उक्त)

भवदीय,

(उमेश सिन्हा)

सचिव राजस्व एवं राहत आयुक्त


संख्या - 5448(1)/1-10-2007

तददिनांक

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. मा0 राजस्व मंत्री के निजी सचिव।
2. स्टाफ आफिसर, मंत्रि मण्डलीय सचिव।
3. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव।
4. प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग।
5. प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग/ऊर्जा विभाग

6. महालेखाकार (लेखा)/महालेखाकार (आडिट) प्रथम, उ०प्र० इलाहाबाद।
7. मण्डलायुक्त झाँसी, चित्रकूटधाम।
8. जिलाधिकारी - झाँसी, चित्रकूट, ललितपुर, जालौन, बांदा, हमीरपुर, महोबा।
9. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ०प्र० लखनऊ।
10. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग -5।
11. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी (दो प्रतियां)/राजस्व अनुभाग -6/राजस्व अनुभाग -11
श्री ऋषि चोपड़ा, आई०टी० सहायक, यू०एन०डी०पी० को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
12. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(ओम प्रकाश)
उप सचिव